वयस्कों (बालिगों) के लिए नाम बदलने हेतु दिशा निर्देश

भारत के राजपत्र भाग-IV में व्यक्ति द्वारा नाम बदलने, उपनाम जोड़ने अथवा हटाने इत्यादि के विज्ञापन के लिए नोटिस

भारत के राजपत्र भाग-**IV** में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्मलिखित दस्तावेज अपेक्षित है-

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र

(ii) समाचार पत्र की मूल प्रति

(iii) आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किये गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियाँ ।

(iv) एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामग्री समाविष्ट सी. डी.

(v) स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

18 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन का विज्ञापन भारत के राजपत्र भाग-IV में प्रकाशित कराना चाहता है/चाहती है, उसे इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा:-

1- कृपया किसी प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अपने नाम परिवर्तन के लिए आवासीय पते सहित अपने पिता/पति का नाम दर्शाते हुए विज्ञापन दें तथा इसे मूल में इस विभाग का प्रेषित करें |

2- कृपया शपथपत्र में शपथ लेने से पहले, आवासीय पते सहित पिता/पति के नाम का पूरा विवरण दर्शाने वाला तथा स्वहस्ताक्षरित विधिवत सत्यापित मूल शपथपत्र जमा कराएं जिसमें यह घोषणा की गई हो कि इसमें निहित तथ्य उसके/उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही है । यदि व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी है तो वे गृह मंत्रालय के दिनांक 12-3-1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 190016/1/87-स्थापना के अनुसार नाम परिवर्तन का विलेख प्रस्तुत करें | नमूना संलग्न है | विदेश में रह रहे भारतीयों के मामले में वे अपना विलेख संबंधित भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायुक्त से विधिवत सत्यापित करवाकर उसकी मूल प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करें |

3- कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार, सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादें कागज पर टाइप कराकर तथा उस पर अपने पुराने नाम से हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर साफ्ट कापी (सी डी एम एस वर्ड) के साथ दो प्रतियों में भेजें | प्रपत्र कम्प्यूटर से टाईप करके भेजा जाएं।

4- आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित 02 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की फोटोप्रति इन दोनों को स्वंसत्यापित करेने पासपोर्ट आकार की स्वयं सत्यापित 02 फोटो जमा करायें ।

5- नाम परिवर्तन के प्रकाशन का दिनांक 01-04-16 से 31-03-17 तक का मुद्रण शुल्क रू 1100/- है । यह राशि नियंत्रक प्रकाशन, दिल्ली के नाम से अग्रिम रूप से नकद या डिमांड ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करनी होगी । यदि आवेदनकर्ता स्वयं आता/आती है तो मुद्रण राशि उपरोक्त दस्तावेजों के साथ इस विभाग में नकद जमा की जा सकती है । प्रवाससी भारतीयों के लिए दिनांक 01-04-14 से 31-03-17 तक भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन का मूल्य रू 3500/- होगा । आवेदनकर्ता से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी राजपत्र की प्रति हमारी वेबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर लें क्योंकि दिनांक 30-09-15 के भारत के राजपत्र सं० 602 असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) के तहत दिनांक 01-10-15 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध होगा ।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए

चरण 1 : राजपत्र खोजें

चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्राहिक राजपत्र

चरण 3 : चुनिंदा भाग और खंड में – भाग-IV

चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)

चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फाईल डाउनलोड करें ।

चरण 6 : अपना नाम (पुराना)/नया) खोजों के लिए कट्रोल + एफ कुंजी को दबायें ।

चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazette) डाउनलोड करें । इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है

ध्यान दें :-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

6- मुद्रण प्रभार सहित पूर्वोक्त सभी कागज़ात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषित पत्र के साथ इस विभाग को व्यक्तिगत रूप में अथवा डाक द्वारा भेजे जाएं | कागज़ात एक वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए |

7- विभाग में जमा किए गए कागजात की मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएगी।

8- इस विषय मे विभाग में सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा |

9- (अ) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का नाम अपनाता है तथा अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता है/करती है तो उसे विधिवत स्वं हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें उसके आवासीय पते सहित सभी ब्योरा होगा तथा उसका नया तथा पुराना नाम पिता/पति के पूरे नाम के साथ आवसीय पता निहित होगा, देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगी कि वह पुष्टि करता/करती है कि "उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है" इस प्रकार के विज्ञापन की कीमत 1100/- रु. होगी । (31-3-2015 तक)

(ब) यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन करता है तो इस मामले में उक्त की घोषणा प्रमुख समाचार पत्र में देनी होगी ।

10- आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

11- आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगी कि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्तु एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदक किसी भी असंगति अथवा पारावहन में हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

12- सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा ।

13- यह विभाग संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

14- भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री के/अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक

<u>वयस्कों के नाम परिवर्तन के लिए नमूना</u>

<u>सभी रिक्त स्थान सादे कागज़ पर दो प्रतियों में विधिवत टाइप होने चाहिए (दो प्रतियॉ)</u>

सं. विज्ञापन/IV/

मैं अब तक...पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री...,..(पदनाम) के रूप में...कार्यरत, निवासी..
....ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है तथा अब इसके बाद मुझे...नाम से जाना जाएं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संबंध में मैंने सभी अन्य कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं ।

(अभिभावक का नाम)
अभिभावक के हस्ताक्षर

साक्षी सं. **1.**

हस्ताक्षर...पूरा

नाम..पता...

....

साक्षी सं. **2.**

हस्ताक्षर...पूरा

नाम..पता...

....